राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 27(252)/ग्राविवि/ग्रुप–5/SOP/पार्ट–3/2021–22 जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2022

–: कार्यालय आदेश :–

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में अनेक बार यह व्यवधान आता है कि कार्य राजकीय भवन परिसर (जैसे– विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र, पशु चिकित्सालय आदि) में निर्मित किया जाना होता है, परन्तु उसमें कई बार राजकीय भवन परिसर के नाम भूमि का पट्टा जारी न होने के कारण दीर्घकाल तक प्रशासनिक, तकनीकी या वित्तीय स्वीकृति लंबित रहती है और इससे कार्य का निर्माण विलम्बित तथा प्रभावित होता है।

इसमें समाधान के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि जहाँ पर कार्यस्थल में राजकीय भवन परिसर होना सुनिश्चित हो, वहाँ पर राजकीय भवन परिसर के नाम भूमि का पट्टा न होने की स्थिति में वहाँ के संस्था प्रधान या कार्यालयाध्यक्ष से सहमति/अनापत्ति के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

इस संबंध में ग्राम पंचायतें भी संबंधित संस्था प्रधान की सहमति से विकास कार्य की स्वीकृति जारी कर सकेंगी ।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ 27(252)/ग्राविवि/ग्रुप–5/SOP/पार्ट–3/2021–22 जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि., जयपुर।
4. आयुक्त ईजीएस।
5. आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।
6. निदेशक स्वच्छ भारत मिशन।
7. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
10. रक्षित पत्रावली।
11. कम्प्यूटर सेल विभाग की वेवसाइट पर अपलोड हेतु।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग